संख्या-61/2024/268/12-2-2024-82/2024

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01 जुलाई, 2024

विषयः प्रदेश में "जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग के प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम" की योजना का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की स्थिति तक कृषि की वृद्धि में जैव उर्वरक का उल्लेखनीय योगदान है। फसलों द्वारा मृदा से लिए जाने वाले प्राथमिक मुख्य पोषक तत्वों- नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश में से नत्रजन, फास्फोरस का सर्वाधिक अवशोषण होता है, जिसकी पूर्ति हेतु कुछ हद तक विकल्प के रूप में जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में फसलों की नत्रजन एवं फास्फोरस की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्णरूप से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर है। जैव उर्वरक के प्रयोग से रासायनिक उर्वरको पर निर्भरता कम होगी।

2. उल्लेखनीय है कि धान्य फसलें (गेहूं, जौ, धान आदि) एवं दलहनी फसलें (चना, मटर, मसूर, उर्द, मूंग, अरहर आदि) तथा तिलहनी फसलें (राई/सरसो) के क्षेत्रफल एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु एवं मृदा संरचना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु तथा फसलो की रासायनिक उर्वरक के वैकल्पिक स्रोतों हेतु जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है।

3 अतः वर्ष 2021-22 से 2023-24 के मध्य जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग के प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम संचालित की गयी योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0 871.47 लाख का व्यय करते हुए कुल 2272495 जैव उर्वरक पैकेट का उत्पादन कर 29922 कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण कर लाभान्वित किया गया। इस योजना का थर्ड-पार्टी मूल्यांकन नियोजन संस्थान द्वारा कराया गया, जिसमें सकारात्मक तथ्य परिलक्षित हुए।

4. प्रदेश में "जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग के प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम" की योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक कुल पांच वर्षो तक किया जायेगा तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में कृषकों द्वारा कृषि फसलों में उपयोग किये जाने हेतु खरीफ, एवं रबी फसली सीजन में विभाग द्वारा संचालित जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं द्वारा जैव उर्वरकों का उत्पादन कर विकास खण्ड स्तर पर स्थित राजकीय बीज भण्डारों पर वितरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रदेश में "जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग के प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम" की योजना का क्रियान्वयन राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एवं पी०एस०बी० का उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा प्रदेश की 10 क्रियाशील जैव उर्वरक उत्पादन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रयोगशाला द्वारा वर्ष में खरीफ एवं रबी फसलीय सीजन में जैव उर्वरकों राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एवं पी0एस0बी0 कल्चर का उत्पादन कराया जाता है। प्रदेश की विभागीय क्रियाशील जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओ का विवरण निम्नवत् हैः-

1	क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ।
2	क्षेत्रीय भूमि परीक्षण, प्रयोगशाला, झांसी।
3	क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, अयोध्या।
4	क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, बांदा।
5	क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, आजमगढ।
6	क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, देवीपाटन।
7	सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, मेरठ।
8	सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, वाराणसी।
9	सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, इटावा।
10	सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, अलीगढ़।

6. जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों के मध्य जैव उर्वरकों के लाभ एवं प्रयोग विधि का प्रचार-प्रसार करते हुए जागरूक किया जायेगा। इसके लिए विकासखण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर रबी एवं खरीफ प्रत्येक सत्र में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक विकासखण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डारों से जैव उर्वरक क्रय करने वाले कम से कम 60 कृषक प्रतिभाग करेगें, जिन्हें जैव उर्वरक के प्रयोग एवं विधि हेतु रिसोर्स फार्मर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा, जो स्वयं जैव उर्वरक के प्रयोग को अपनायेगें तथा इसका दृश्य दर्शन अन्य कृषकों को कराते हुए जैव उर्वरक के प्रयोग के प्रति अन्य कृषको को जागरूक करेगें। इस प्रकार 825 विकासखण्डों के 838 राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर कृषक जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, जिसमें अनुमानतः 50000 से अधिक कृषक प्रशिक्षण से लाभान्वित होगें। खरीफ एवं रबी हेतु प्रति प्रशिक्षण अधिकतम रू0 4000.00 व्यय करते हुए कुल रू0 67.04 लाख व्यय सम्भावित है। इस प्रकार कृषक जागरूकता गोष्ठी के आयोजन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रू0 838X2X4000 = 67.04 लाख व्यय **अनुमानित रूप से** किया जायेगा।

7. कृषि विभाग द्वारा संचालित जैव उर्वरक प्रयोगशालाओं से प्रति प्रयोगशाला 03 तकनीकी कार्मिको के कौशल उन्नयन हेतु तकनीकी कार्मिकों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का खरीफ, रबी में एन0बी0आर0आई0 संस्थान द्वारा आयोजित किया जायेगा, जिसमें 30 तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण पर धनराशि रू0 3.00 लाख व्यय किया जायेगा।

8. जैव उर्वरक अन्य रासायनिक उर्वरकों से सस्ते होने के कारण व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए अनुमानतः 90 हजार कृषको को 75 प्रतिशत अनुदान एटसोर्स POS मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। कृषको को जैव उर्वरक उत्पादन लागत मूल्य रू0 21.00 प्रति पैकेट (200 ग्रा0) का 25 प्रतिशत, धनराशि रू0 5.25 कृषक अंश के रूप में प्राप्त धनराशि को प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा। जैव उर्वरकों का वितरण कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल पर पंजीकृत कृषको को प्रथम आओ-प्रथम पाओ के सिद्धान्त पर आनलाईन एटसोर्स सब्सिडी उपलब्ध होगी, जिसमें प्रत्येक कृषक को अधिकतम 2 हे0 क्षेत्रफल हेतु 8 किग्रा0 (40 पैकेट) राइजोबियम/एजोटोबैक्टर/पी0एस0बी0 जैव उर्वरक प्रति फसली सीजन में देय होगा, अर्थात 8 किग्रा0 (40 पैकेट) राइजोबियम/एजोटोबैक्टर/पी0एस0बी0 जैव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उर्वरक खरीफ फसल हेतु एवं 8 किग्रा0 (40 पैकेट) रबी फसल हेतु राइजोबियम/एजोटोबैक्टर/पी0एस0बी0 जैव उर्वरक में देय होगा।

9. प्रदेश में जैव उर्वरक प्रयोगशालाओं के सफल संचालन, उत्पादन हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण) उत्तर प्रदेश स्तर पर किया जायेगा। जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए सम्बन्धित उप कृषि निदेशक (शोध) एवं सहायक निदेशक उत्तरदायी होगें। जैव उर्वरक पैकेटों के वितरण एवं राजकीय बीज भण्डारों पर प्रशिक्षण के आयोजन के लिए सम्बन्धित जनपदो के जिला कृषि अधिकारी उत्तरदायी होगें। योजनान्तर्गत जैव उर्वरको-राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पी0एस0बी0 की गुणवत्ता हेतु केन्द्रीय संस्थान एन0बी0आर0आई0, लखनऊ द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रू0 7.46 लाख संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण) उत्तर प्रदेश के स्तर पर व्यय किया जायेगा।

10. प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्ष में खरीफ एवं रबी में जैव उर्वरकों के प्रतिवर्ष 14.50 लाख (राइजोबियम/एजोटोबैक्टर/पी0एस0बी0) पैकट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 72.50 लाख (राइजोबियम/एजोटोबैक्टर/पी0एस0बी0) जैव उर्वरकों पैकेटों का उत्पादन खरीफ एवं रबी में किया जायेगा। जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 स0	मद/कार्य विवरण	इकाई	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		वर्ष 2026-27		वर्ष 2027-28		वर्ष 2028-29		वर्ष 2024-25 से 2028-29	
			भौतिक लक्ष्य	वित्त लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्त लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्त लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्त लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्त लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्त लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जैव उर्वरक उत्पादन पर व्यय	पैकेट सं0 लाख में	14.50	304.50	14.50	304.50	14.50	304.50	14.50	304.50	14.50	304.50	72.50	1522.50
2	कृषक जागुरूकता संगोष्ठी/प्रशिक्षण	रू0 मे	1676	67.04	1676	67.04	1676	67.04	1676	67.04	1676	67.04	8380	335.20
3	राज्य स्तरीय तकनीकी कार्मिका का प्रशिक्षण	रू0 मे	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	10	15.00
4	29 अनुरक्षण	रू0 मे	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	100.00
5	योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय	रू0 मे	-	7.46	-	7.46	-	7.46	-	7.46	-	7.46	-	37.10
	योग		-	402.00	-	402.00	-	402.00	-	402.00	-	402.00	-	2010.00

11. कृषि विभाग द्वारा संचालित जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पादन लागत मूल्य प्रति पैकेट (200 ग्राम) रू0 21.00 की दर से 14.50 लाख जैव उर्वरक (राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पी0एस0बी0) पैकेट के उत्पादन एवं कृषको को प्रोत्साहन हेतु जैव उर्वरक पर एटसोर्स अनुदान दिये जाने हेतु तथा कृषक/प्रयोगशाला के तकनीकी सहायक कर्मियों के प्रशिक्षण आदि पर कुल रू0 402.00 लाख का व्यय किया जायेगा। उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से व्यय की जायेगी। कृषकों को जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला के सुदृढीकरण/अनुरक्षण मदों में आवश्यक धनराशि को प्राविधान के अनुसार हो रही बचत के विभिन्न मदो से पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में परिवर्तन विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोंपरान्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना का वर्षवार एवं मदवार वित्तीय लक्ष्य (वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मद	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	वर्ष 2027-28	वर्ष 2028-29	कुल वित्तीय आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02- मजदूरी	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	145.00
2	29-अनुरक्षण	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
3	42-अन्य व्यय	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	37.30
4	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	275.50	275.50	275.50	275.50	275.50	1377.50
5	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	70.04	70.04	70.04	70.04	70.04	350.20
	योग	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	2010.00

12. जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग के प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य क्षेत्र विस्तार एवं क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों में भविष्य की आवश्यकता के अनुसार वांछित संशोधन मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

13. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम में किसी अन्य योजना के कार्यक्रमों/ कम्पोनेन्ट से द्विरावृत्ति न हो। साथ ही योजनान्तर्गत वार्षिक लक्ष्यों को प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेंगा।

14. विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर रबी एवं खरीफ सत्र में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के दृष्टिगत पूर्व से संचालित किसान पाठशाला एवं फार्मर्स स्कूल के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

15. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं में उत्पादित जैव उर्वरकों के सुरक्षित भण्डारण के साथ ही ससमय वितरण कराया जायेगा जिससे उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित न हो सके।

16. प्रश्नगत योजना के फलस्वरूप बढ़ी हुई उत्पादकता और उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक रूप से प्राप्त किए जाने हेतु सुदृढ व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में डैशबोर्ड बनाया जायेगा, जिसका रिफ्लक्शन राज्य की आय में भी हो। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मूल्य का वास्तविक लाभ भी आंकड़ों में प्रदर्शित हो एवं भारत सरकार के पोर्टल पर ससमय उक्त आंकड़ों को फीड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. कृपया उक्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in